न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर

पीठासीन अधिकारी श्योराम वर्मा
(आर.ए.एस.)

दिनांकः-25/09/2019

न.मु.– 102/2013

1. श्रीमति फुलीदेवी पत्नि स्व0 सुरजाराम जाति मेघवाल (मेघवंशी) निवासी वार्ड संख्या 24, मौहल्ला उतरादा मेहरड़ा बास, बीदासर हाल आबाद खेत ढ़ाणी तह0 सुजानगढ जिला चूरू (राज0)
2. तलोकाराम पुत्र स्व0 सुरजाराम जाति मेघवाल (मेघवंशी) निवासी वार्ड संख्या 24, मौहल्ला उतरादा मेहरड़ा बास, बीदासर हाल आबाद खेत ढ़ाणी तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राज0)
3. पन्नालाल पुत्र स्व0 सुरजाराम जाति मेघवाल (मेघवंशी) निवासी वार्ड संख्या 24, मौहल्ला उतरादा मेहरड़ा बास, बीदासर हाल आबाद खेत ढ़ाणी तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राज0)
4. श्रीमति पन्नीदेवी पत्नि स्व0 रामेश्वरलाल जाति मेघवाल (मेघवंशी) निवासी वार्ड संख्या 24, मौहल्ला उतरादा मेहरड़ा बास, बीदासर हाल आबाद खेत ढ़ाणी तह0 सुजानगढ जिला चूरू (राज0)
5. औमप्रकाश पुत्र स्व0 रामेश्वरलाल जाति मेघवाल (मेघवंशी) निवासी वार्ड संख्या 24, मौहल्ला उतरादा मेहरड़ा बास, बीदासर हाल आबाद खेत ढ़ाणी तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राज0)
6. प्रेमाराम पुत्र स्व0 रामेश्वरलाल जाति मेघवाल (मेघवंशी) निवासी वार्ड संख्या 24, मौहल्ला उतरादा मेहरड़ा बास, बीदासर हाल आबाद खेत ढ़ाणी तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राज0)
7. कुमारी सुशीला पुत्री स्व0 रामेश्वरलाल जाति मेघवाल (मेघवंशी) निवासीनी बीदासर हाल आबाद खेत ढ़ाणी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज0) नाबालिग जरिये संरक्षिका **माता** श्रीमति पन्नीदेवी पत्नि स्व0 रामेश्वरलाल जाति मेघवाल (मेघवंशी) निवासी वार्ड संख्या 24, मौहल्ला उतरादा मेहरड़ा बास, बीदासर हाल आबाद खेत ढ़ाणी तह0 सुजानगढ जिला चूरू (राज0)
8. श्रीमति तिजूदेवी पत्नि स्व0 छोगाराम जाति मेघवाल (मेघवंशी) निवासी वार्ड संख्या 24, मौहल्ला उतरादा मेहरड़ा बास, बीदासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राज0)
9. दुर्गाराम पुत्र स्व0 छोगाराम जाति मेघवाल (मेघवंशी) निवासी वार्ड संख्या 24, मौहल्ला उतरादा मेहरड़ा बास, बीदासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राज0)
10. सुखाराम पुत्र स्व0 छोगाराम जाति मेघवाल (मेघवंशी) निवासी वार्ड संख्या 24, मौहल्ला उतरादा मेहरड़ा बास, बीदासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राज0)
11. सम्पतराम पुत्र स्व0 छोगाराम जाति मेघवाल (मेघवंशी) निवासी वार्ड संख्या 24, मौहल्ला उतरादा मेहरड़ा बास, बीदासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राज0)
12. सोहनराम पुत्र स्व0 छोगाराम जाति मेघवाल (मेघवंशी) निवासी वार्ड संख्या 24, मौहल्ला उतरादा मेहरड़ा बास, बीदासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राज0)
13. बीरबलराम पुत्र स्व0 छोगाराम जाति मेघवाल (मेघवंशी) निवासी वार्ड संख्या 24, मौहल्ला उतरादा मेहरड़ा बास, बीदासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राज0)
14. केसरराम पुत्र स्व0 छोगाराम जाति मेघवाल (मेघवंशी) निवासी वार्ड संख्या 24, मौहल्ला उतरादा मेहरड़ा बास, बीदासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राज0)

–वादीगण –

बनाम

1. गंगाराम पुत्र स्व0 अजाराम जाति मेघवाल (मेघवंशी) निवासी वार्ड संख्या 23, मौहल्ला रेगरान्, दड़ीबा (बीदासर) तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राज0)
2. श्रीमति खुमीदेवी पत्नि स्व0 अजाराम जाति मेघवाल (मेघवंशी) निवासी वार्ड संख्या 23, मौहल्ला रेगरान्, दड़ीबा (बीदासर) तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राज0)

ल गा ता र .....2.....

3. श्रीमति झमकूदेवी पुत्री स्व0 अजाराम पत्नि पूर्णाराम जाति मेघवाल (मेघवंशी) निवासीनी हाल हरासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राज0)
4. श्रीमति चुन्नीदेवी पुत्री स्व0 अजाराम पत्नि बुधाराम जाति मेघवाल (मेघवंशी) निवासी हाल छापर तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राज0)
5. उप पंजीयक एवं तहसीलदार, बीदासर जिला चूरू राजस्थान
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

–

प्रतिवादीगण –

7. मेगाराम पुत्र स्व0 स्व0 सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड संख्या 24, मौहल्ला उतरादा मेहरड़ा बास, बीदासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राज0)
8. श्रीमति सोहनीदेवी पुत्री स्व0 सुरजाराम पत्नि लिछमणराम जाति मेघवाल निवासीनी हाल ढ़ढेरू गोदारान् तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज0)
9. श्रीमति किसनीदेवी पुत्री स्व0 सुरजाराम पत्नि हरखाराम जाति मेघवाल निवासीनी हाल ढ़ढेरू गोदारान् तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज0)
10. श्रीमति रामीदेवी पुत्री स्व0 सुरजाराम पत्नि नराणाराम जाति मेघवाल निवासीनी हाल देरासर तहसील रतनगढ़ जिला चूरू (राज0)
11. श्रीमति अमरीदेवी पुत्री स्व0 सुरजाराम पत्नि गोपालराम जाति मेघवाल निवासीनी हाल बीदासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज0)
12. श्रीमति चीनादेवी पुत्री स्व0 सुरजाराम पत्नि आसूराम जाति मेघवाल निवासीनी हाल चरला तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज0)
13. श्रीमति कालीदेवी पुत्री स्व0 सुरजाराम पत्नि जालूराम जाति मेघवाल निवासीनी हाल मलसीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज0)
14. श्रीमति सन्तोषदेवी पुत्री स्व0 रामेश्वरलाल पत्नि सुरजाराम जाति मेघवाल निवासीनी हाल ढ़िगाारिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज0)
15. श्रीमति रतनादेवी पुत्री स्व0 रामेश्वरलाल पत्नि बुधाराम जाति मेघवाल निवासीनी हाल ईयारा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज0)
16. श्रीमति सीमादेवी पुत्री स्व0 रामेश्वरलाल पत्नि सोनाराम जाति मेघवाल निवासीनी हाल ढ़िगाारिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज0)

– **गौण**

प्रतिवादीगण –

दावा घोषणात्मक दुरूस्ती एवम् चिर निषेधाज्ञा प्राप्ति बाबत्

उपस्थित :

1. विद्वान अधिवक्ता श्री दीनदयाल प्रजापत वादीगण की ओर से...
2. इकतरफा कार्यवाही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4
3. पैरोकार राज. प्रतिवादी संख्या 5 वा 6
4. विद्वान अधिवक्ता श्री अरवीन्द चौधरी गोणप्रतिवादी संख्या 07 ता 16

लगातार..3.पर...

– : निर्णय :–

दिनांकः– /09/2019

1. प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि खेत खसरा खेत खसरा संख्या 324/38 **(तीन सौ चौबीस बटा अड़तीस) तादादी 7 (सात) बीघा 3 (तीन) बिश्वा वाके रोही ग्राम दड़ीबा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान मे स्थित है।** वादीगण के तन्हा अधिकार एवं कब्जे काश्त का खेत है जिस पर जायद अज 50 (पचास) साला वादी का कब्जा मुखालफाना घोषित रूप से चला आ रहा है। और प्रतिवादीगण का इन खेतो व उनके कब्जे काश्त व स्वामित्व से 50 (पचास) साल से कोई सरोकार नहीं रहा है। जिससे वादीगण का कब्जा मुखालफाना कानूनन परिपक्व हो चुका है। जिसके वर्तमान में आसेपासे इस प्रकार है :–

उतर :– भूमिखेत बालाराम मेघवाल।
दक्षिण :– भूमिखेत आमीनजी व्योपारी।
पूर्व :– भूमिखेत मानाराम रेगर।
पश्चिम :– सड़क बीदासर से राजलदेसर।

2. यह कि उक्त खेत वादीगण के पूर्वज गणेशा वल्द जीवण के नाम से राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी का चला आ रहा है। गणेशा के स्वर्गवास के बाद राजस्व रेकॉर्ड में सबसे बड़े पुत्र अजाराम के नाम दर्ज हो गया। जबकि स्व0 गणेशा के तीन पुत्र जिनके नाम कमशः अजाराम, सुरजाराम व छोगाराम थे। शेष दो पुत्र सुरजाराम व छोगाराम का नाम सरकारी कर्मचारी की गफलत व लापरवाही से छुट गया। जबकि सुरजाराम व छोगाराम भी स्व0 गणेशा के वारीस होने के नाते उक्त भूमिखेत के कानूनी हकदार है। इसी गलती को दुबारा दोहराते हुए सरकारी कर्मचारी की गफलत व लापरवाही की बदौलत अजाराम के स्वर्गवास के बाद केवल उसके पुत्र गंगाराम का नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। जबकि अजाराम के जायज वारीसो में उसकी पत्नि व दो पुत्रिया व सुरजाराम के वारीस व छोगाराम के वारीसो के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नहीं किए। स्व0 गणेशा का वंशवृक्ष निम्नांकित प्रकार है :–

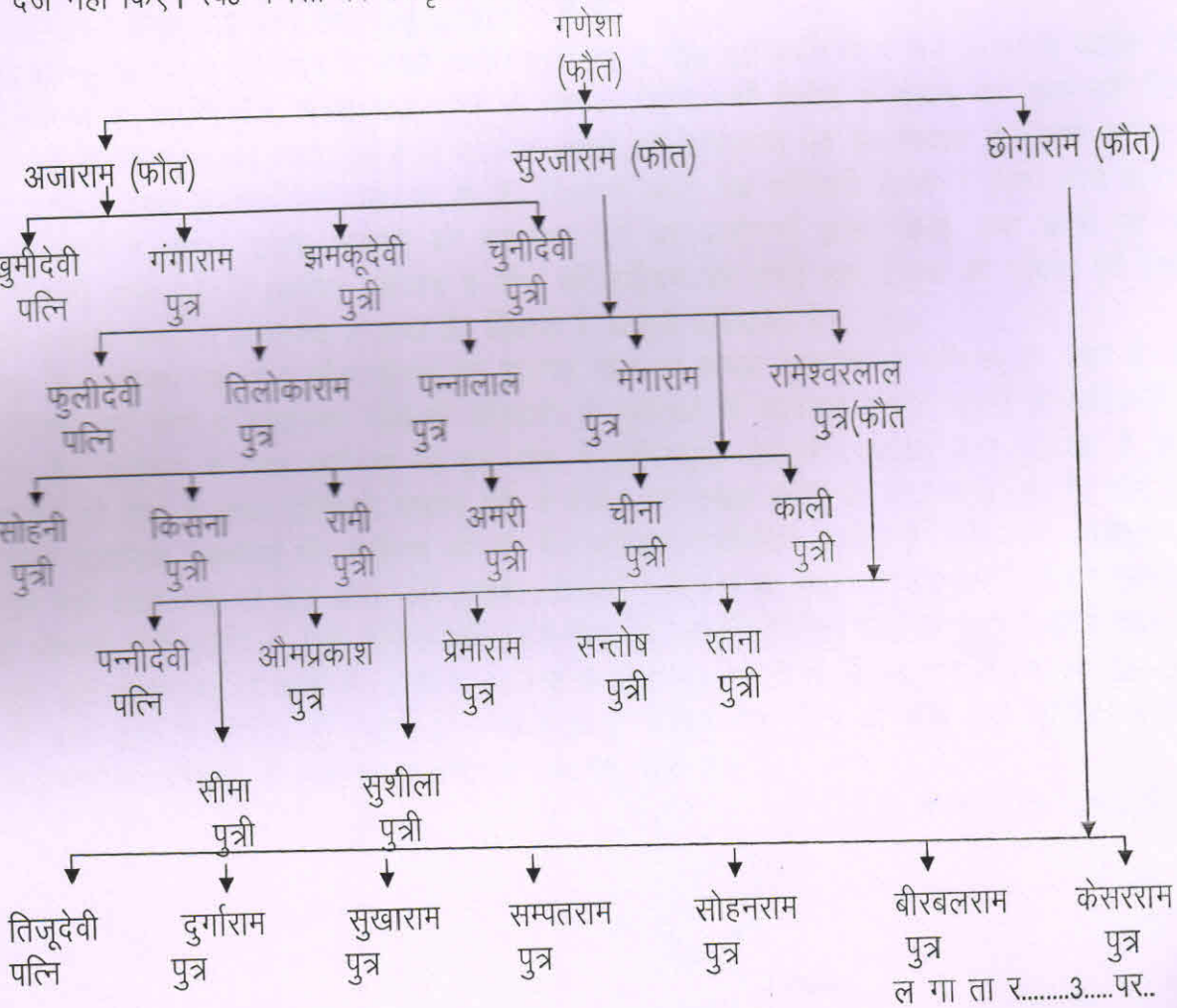

ल गा ता र.....3.....पर..

3 यह कि स्व0 गणेशा नें अपने जीवनकाल मे मौखिक बन्टवारा करते हुए वादगत खेत अपने दोनों छोटे पुत्र सुरजाराम व छोगाराम को मौखिक रूप से दे दिये थे। जिसमें उतरी तरफ छोगाराम व दक्षिणी तरफ सुरजाराम का हिस्सा रखा गया। और सबसे बड़े पुत्र अजाराम को दुसरा खेत खरीदने हेतु नगद रूपये दे दिये थे। तब से उक्त वादगत खेत पर सुरजाराम व छोगाराम को कब्जा, काश्त चला आ रहा है और सुरजाराम व छोगाराम के स्वर्गवास के बाद इनके वारीसो का कब्जा, काश्त चला रहा है। वर्तमान में खेत खसरा संख्या **324/38 (तीन सौ चौबीस बटा अड़तीस) तादादी 7 (सात) बीघा 3 (तीन)** बिश्वा वाके रोही **ग्राम दड़ीबा** में स्व0 सुरजाराम के वारीसो नें उक्त खेत के अपने हिस्से में दो पक्के मकान बना रखे है जिसमें एक मकान में पन्नालाल सपरिवार अपनी माता के साथ निवास कर रहा है व दुसरे मकान में स्व0 रामेश्वरलाल के वारीस सपरिवार निवास कर रहे है। उक्त स्व0 सुरजाराम के हिस्से में उसके वारीसो द्वारा एक पक्का कुण्ड, छान, टीन का छपरा, व पश्चिमी तरफ सड़क की और पट्टीया रोपकर तारबन्दी कर रखी है। व पशुधन भी ढ़ाणी खेत में रखते है। स्व0 छोगाराम के वारीसो नें उक्त खेत के अपने हिस्से में पक्के मकान बनवाने हेतु 11 (ग्यारह) पट्टीया, 10 (दस) कातले, 2 (दो) ट्रोली खण्डा डाल रखे है। व पश्चिमी तरफ सड़क की और पट्टीया रोपकर तारबन्दी कर रखी है। व पशुधन भी खेत में रखते है। प्रतिवादीगण संख्या 1 का कोई सरोकार नही रहा है।

4 यह कि स्व0 सुरजाराम व स्व0 छोगाराम नें उक्त वादगत खेत का अपना–अपना हिस्सा उसी वक्त अपने कब्जे में ले लिया था। और स्व0 अजाराम नें अपने समस्त हक, हकूक छोड़ दिये थे। उस वक्त से ही सुरजाराम व छोगाराम व इनके स्वर्गवास के बाद इनके वारीसों का ही कब्जा मुखालफाना रखते हुए साधिकार तन्हा कब्जा, काश्त करते चला आ रहे है। मौके पर सुरजाराम व छोगाराम के वारीस वादीगण व गौण प्रतिवादीगण के परिवार का पुख्ता कब्जा है।

5 यह कि गंगाराम जो प्रतिवादी संख्या 1 (एक) है। स्व0 अजाराम का पुत्र है। व प्रतिवादी संख्या 2 (दो) पत्नि व 3–4 (तीन–चार) पुत्रिया है। प्रतिवादी संख्या 1 (एक) की नियत अब खराब हो गई और उसनें वादीगण को धमकीया दी है कि वे वादगत खेत को बेचूंगा और जबरन वादीगण के कब्जे हकूक में दस्तंन्दाजी व दखलन्दाजी करूगां जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है।

6 यह कि सुरजाराम व छोगाराम व उनके वारीस वादीगण व गौण प्रतिवादीगण अनपढ़ व अज्ञान व्यक्ति होनें के कारण एवं शान्तिपूर्वक कब्जा चला आने के कारण उन्होनें कभी रेकॉर्ड में अंकन का ध्यान नहीं दिया जिसके कारण कागजात लेण्ड रेकॉर्ड में सरकारी अमले की लापरवाही एवं अकर्मण्यता के कारण रूटीन में ही मनमाने गलत इन्द्राज होते चले आ रहे है। जिसकी बाबत् अब प्रतिवादी संख्या 1 (एक) द्वारा वादगत खेत बेचने व कब्जा खाली करवाने की धमकीया देने पर वादीगणों द्वारा नकले प्राप्त करने पर अब जानकारी प्राप्त हुई है, इसलिए वादीगण व गौण प्रतिवादीगण को अपने हक, हकूक की घोषणा एवं रेकॉर्ड की दुरूस्ती करवाना आवश्यक हो गया है। जिसके वे कानूनी अधिकारी है।

7 यह कि वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण का वादगत खेत का कब्जा मुखालफाना परिपक्व हो चुका है। एवं वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण स्वंय ही प्रतिवादी के मुकाबले में खातेदार घोषित करानें के अधिकारी हो गये है। वादीगण व गौण वादीगण का इस खेत में शान्तिपूर्वक उपयोग, उपभोग चला आ रहा है परन्तु कानून को हाथ में लेकर प्रतिवादी जबरन खेत में कब्जा एवं दखल करने पर ऊतारू हो रहा है। और ऐसी उसनें ऐलानिया धमकीया भी वादीगण को दी है। वादीगण शान्तिप्रिय व्यक्ति है। और यदि न्यायालय से उसे नहीं रोका गया तो वोह बाज नहीं आयेंगा। जिससे वादीगण को ऐसी क्षति पंहुचाए जाने की सम्भावना है जिसकी पूर्ति हर्जानें से नहीं होगी। और तरह–तरह की कानूनी अड़चने पड़नें व मुकदमें बाजी बढ़ने की पूरी–पूरी सम्भावनाए हो चुकी है। वादीगण ने उन्हे समझया बुझाया तो वे अन्तिम बार दिनांक 16–08–2011 को बाज आने से इन्कार हो गया। और न्यायालय से वर्जित किए बिना वो बाज नहीं आयेगा। इसलिए वादीगण को प्रतिवादी के खिलाफ वादाधार व वाद हेतु प्राप्त है।

ल गा ता र .....4....पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

यह कि राजस्थान–सरकार को पार्टी बनाए बिना वर्तमान रेकॉर्ड में आवश्यक सुधार नहीं हो पायेगा। इसलिए उन्हे भी पक्षकार बनाना जरूरी हो गया है। चुंकि प्रतिवादी का रवैया जल्दीबाजी में खेत विक्रय करने का बन रहा है और ऐलानीया धमकीया मिल रही है, इसलिए यह मामला आवश्यक प्रकृति का हो जाने से दफा 80(2) सीपीसी. के अन्तर्गत कानूनी नोटीस की छुट का प्रार्थना–पत्र सलंग्न प्रस्तुत किया गया हैं। प्रतिवादी संख्या 5–6 (पांच–छः) राजस्थान सरकार को पक्षकार बरफाये उजर बनाया जा रहा है यधपि इस खेत में सरकार का कोई हित नही है। गौण प्रतिवादी संख्या 7 (सात) वादी है किन्तु कमाने के उदेश्य से बाहर देश चले जाने के कारण गौण प्रतिवादी बनाया गया है। गौण प्रतिवादी संख्या 8 (आठ) ता 16 (सोलह) वादी है, किन्तु शादी शुदा होने के कारण ससुराल में रह रही है, इसलिए इनको गौण प्रतिवादी बनाया गया है। यह कि दावा घोषणात्मक दुरूस्ती एवं चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ति का है। खेतो की स्थिति की दृष्टि से एवं हर लिहाज से श्रीमान्जी को दावा का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार है। और उचित कोर्ट फीस पर दावा अन्दर मियाद नियमानुसार पेश है। जिसका वादीगण अलग हिस्सा कायम करवाना चाहती है आदि आदि।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 तथा गौण प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 16 को तलब किया प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से वकालतनामा एडवोकेट विश्वनाथ शर्मा की ओर से पेश किया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से जवाबदावा पेश किश गया तथा प्रतिवादीगण संख्या 02 से 04 जवाब दावा देना नही चाहते इसके बाद दिनांक 02/06/2014 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 04 अनुपस्थित होने से उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही को आदेश अमल में लाया गया। गोण प्रतिवादीगण संख्या 07 से 16 की ओर से वकालतनामा अरवीन्द चौधरी ने पेश किया प्रतिवादीगण संख्या 5 वा 6 की ओर से पैरोकार राज ने राज्यहित नही होना प्रकट किया। प्रतिवादी संख्या 01 गंगाराम द्वारा लिखीत राजीनामा पेश हुआ।

लगातार....4...पर.....

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतू कायम की गई वादीगण दुर्गाराम, तिलोकाराम, फुली देवी, पन्नालाल, सुखाराम, तीजू देवी, पन्नी देवी, जगुराम, सम्पतराम के बयान लेखबद्ध करवाये गये। दस्तावेज साक्ष्य में मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्स पी. 1 नक्शा मौका प्रदर्स पी. 2 सुचना पत्र प्रदर्स पी. 3, उपस्थिती पत्र प्रदर्स पी. 4 फोटाग्राफ 1 से 16 प्रदर्स पी., जमाबन्दी प्रदर्स पी. 6, गीरदावरी प्रदर्स पी. 7 प्रदर्शित करवाये।

बहस सुनी गई अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि यह कि घोषित किया जाये कि खेत खसरा नं. 834 तादादी 57 बीघा 15 बिस्वा, खेत खसरा नं. 835 तादादी 19 बीधा 05 बिस्वा कुल किता 02 कुल तादादी 77 बीघा वाके रोही ग्राम रामदेवरा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। उपरोक्त खेत 77 बीघा में उमाराम का 1/2 हिस्सा यानि 38 बीघा 10 बिस्वा की संयुक्त खातेदारी में नाम दर्ज था। वादिनी के हिस्से में उपरोक्त 1/2 में यानि 38 बीघा 10 बिस्वा में 1/6 हिस्सा बनता है। वादीनी के 1/6 हिस्सा भूमि को राजस्व रिकार्ड में संशोधन कर खाता विभाजन कर वादीनी का हक हिस्सा अलग खाता कायम किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा वर्जित फरमाया जावे कि वादगत खेत खसरा नं. 834 तादादी 57 बीघा 15 बिस्वा, खेत खसरा नं. 835 तादादी 19 बीधा 05 बिस्वा कुल किता 02 कुल तादादी 77 बीघा वाके रोही ग्राम रामदेवरा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है।

जो कि संयुक्त अविभाजित खेत है। बिना विधिवत रूप से रिकार्ड संशोधन व विभाजन करवाये बिना वादीनी के हक व हिस्से की भूमि मे से बेदखल ना करे विक्रय हस्तान्तरण ना करे ना ही विक्रय पत्र निष्पादित करे ना ही रहन अडाण गिरवी रखे ना ही कुआं आदि आदि करे ना ही वादीनी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में दखलअन्दाजी स्वयं पैदा करे या अन्य से करायें व ना ही ऐसा कोई कृत्य करे जिससे वादीनी के खातेदारी उपयोग, उपभोग के वैध अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़े। प्रतिवादी सं. 07 तहसीलदार बीदासर को आदेशित फरमाया जावे कि मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीनी हो दिलायी जावे। खर्चा मुकदमा वादीनी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। तथा रास्ता कायम किया जावे।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया व परिशिलन किया। वादपत्र के अनुतोष एवं प्रंस्तुत राजस्व रिकार्ड एवंम दस्तावेजों व साक्ष्य वा इकरारनामा वास्ते राजीनामा के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण व गोणप्रतिवादीगण वादगत कृषि भूमि का घोषणात्मक दुरूस्ती एवम् चिर निषेधाज्ञा प्राप्ति कराने के अधिकारी है और वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

—: आदेश :—

वादीगण वा गोणप्रतिवादीगण का वाद मुताबिक इकरारनामा वास्ते राजीनामा के इस प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है कि खेत खसरा संख्या **324/38 (तीन सौ चौबीस बटा अड़तीस) तादादी 7 (सात) बीघा 3 (तीन) बिश्वा वाके रोही ग्राम दड़ीबा तहसील** बीदासर **जिला चूरू राजस्थान** में स्थित है जो वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 04 के नाम खातेदारी दर्ज है उपरोक्त खेत खसरा संख्या **324/38 (तीन सौ चौबीस बटा अड़तीस) तादादी 7 (सात) बीघा 3 (तीन) बिश्वा** मेंसें 1/3 हिस्सा अजाराम के पुत्र गंगाराम प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम तथा सुरजाराम के वारीसान वादीगण संख्या 1 ता 7 व गोणप्रतिवादीगण संख्या 7 ता 16 के हिस्से में 1/3 हिस्सा तथा छोगाराम के वारीसान वादीगण संख्या 8 ता 14 के हिस्से में 1/3 हिस्सा नियमानुसार दर्ज किया जावे। वादीगण, प्रतिवादी वा गोणप्रतिवादीगण के हक हिस्सा भूमि को राजस्व रिकार्ड में संशोधन कर वादीगण, प्रतिवादी वा गोणप्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित किया जाता है कि वो वादीगण व गोणप्रतिवादीगण के अधिकारों के विपरीत कोई कृत्य नही करें। मुकदमा खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो और मुताबिक निर्णय वा डिक्री कर पालना हेतू तहसीलदार बीदासर को अलग से लिखा जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 25-09-19 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर